

फर्द अहकाम

उपरोक्त अधिकारी (नियम 26)

अज अदालत दहीसाबड़ा (बसोड़ा) मुकाम दहीसाबड़ा

किस्म मुकदमा राजेश कुमार vs श्री राजेश कुमार

नं. 136 LRAct. / 3 / 21 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8.1.2021	<p>प्रार्थी श्री राजेश कुमार पिता श्रीरामलाल महाराज निवासी निजुम इरा प्रखण्ड प्रान्त पत्र अन्तर्गत धारा 136 के अन्तर्गत शुद्ध नाम करने का पेशकिस पत्र पर प2वारी हलका / अ-अ-नि. एवं माधव लक्ष्मीनगर, लक्ष्मी लक्ष्मीनगर, बडीसाबरी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पत्र की मूल्य के बाद जारी विरासत से प्रार्थी का नाम रतन लाल पिता श्रीरामलाल राज हुआ था; अ-प्रवन्ध एवं सेग्रीगेशन के दौरान कोई अशुद्धि नहीं हुई है।</p> <p>ज्ञातः प्रखण्ड प्रार्थना पत्र राज. अ-राज. एवं अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकृत योग्य नहीं पाये जाने से स्वारीज किया गया पत्रावली फिलहाल रुकुम होकर गन्धर से काम हो।</p>	

जज
उपरोक्त अधिकारी
दहीसाबरी (बसोड़ा)